राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांकःप.14(66)(1)RSSB/अर्थना/मा.शि.वि./पीटीआई ग्रेड–III/पा.जां/2018/ 1204 दिनांक : 04/10/2019

:: कार्यालय आदेश ::

बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या 09/2018 दिनांक 04.05.2018 से शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–।।। के कुल 4500 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3930 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 570) पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन आंमत्रित किये गये थे। जिसकी परीक्षा दिनांक 30.09.2018 को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम दिनांक 29.01.2019 एवं संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 10.05.2019 को जारी किया गया था। तदुपरांत विभाग की संशोधित अर्थना दिनांक 16.07.2019 से एम.बी.सी (अति पिछड़ा वर्ग) के कुल 155 अतिरिक्त पद प्राप्त हुये थे। उक्त सृजित अतिरिक्त पदों के लिए अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दिनांक 24.07.2019 को सूचीबद्ध किया गया था। शिक्षा विभाग एंव बोर्ड की परिवीक्षण शाखा द्वारा की गई पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन उपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थियों को पात्र, प्रोविजनल अथवा अपात्र किया गया है। जिनमें अंतिम रूप से पदस्थापन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को दिनांक 26.09.2019 को प्रेषित की गई थी।

उक्त प्रेषित सूची में जिन अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्तानुसार पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में दस्तावेज सत्यापन करा लेने से रिक्त पदों के विरूद्ध वरियता से अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में पदस्थापन हेतु अभिशषां कर दी गई थी। परन्तु उपरोक्तानुसार जिन अभ्यर्थियों की पदस्थापन हेतु अभिशषां अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में की गई हैं, उन अभ्यर्थियों से पदस्थापन से पूर्व अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र में से किसी भी एक क्षेत्र हेतु विकल्प पत्र शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन के समय भरवाया जाना है। तदनुसार उनके द्वारा चुनें गये विकल्प क्षेत्र के अनुसार उनका पदस्थापन किया जावेगा तथा उक्त अभ्यर्थियों द्वारा जिस क्षेत्र के लिए विकल्प नहीं दिया जायेगा, उस क्षेत्र हेतु ऐसे अभ्यर्थियों के पदों को नॉन ज्वाईनर के रूप में रिक्त मानते हुये, नॉन ज्वाईनर पदों पर वरियता क्रम से उसी श्रेणी व क्षेत्र के अभ्यर्थियों का चयन कर पदस्थापन की अभिशषां की जायेगी।

(डॉ. मुकुट बी. जांगिड़)
सचिव